

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-03
संख्या: । ४९/IV(3) / २०२४-११(३ निर्वा०) / २०२४
देहरादून: दिनांक । ५ दिसम्बर, २०२४

अनन्ति म अधिसूचना


उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा ७क की उपधारा (5) सपष्टित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024 उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर पंचायतों में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु अध्यक्ष पदों का आरक्षण एवं आवंटन निम्नवत प्रस्तावित करते हैः—

क्र०सं०	नगर पंचायत का नाम	अध्यक्ष पद का आवंटन/आरक्षण
1.	नगर पंचायत, सेलाकुई	अन्य पिछड़ी जाति
2.	नगर पंचायत, झबरेडा	अनारक्षित
3.	नगर पंचायत, लण्ठौरा	अन्य पिछड़ी जाति
4.	नगर पंचायत, भगवानपुर	अनारक्षित
5.	नगर पंचायत, पिरान कलियर	अनारक्षित
6.	नगर पंचायत, ढण्डेरा	अनुसूचित जाति
7.	नगर पंचायत, इमलीखेडा	अन्य पिछड़ी जाति
8.	नगर पंचायत, पाडली गुज्जर	अन्य पिछड़ी जाति
9.	नगर पंचायत, रामपुर	अन्य पिछड़ी जाति
10.	नगर पंचायत, सुल्तानपुर-आदमपुर	अन्य पिछड़ी जाति
11.	नगर पंचायत, नौगांव	महिला
12.	नगर पंचायत, नन्दप्रयाग	अनारक्षित
13.	नगर पंचायत, पोखरी	अनुसूचित जाति
14.	नगर पंचायत, गैरसैण	अनारक्षित
15.	नगर पंचायत, थराली	अनारक्षित
16.	नगर पंचायत, पीपलकोटी	महिला
17.	नगर पंचायत, नन्दानगर	महिला
18.	नगर पंचायत, कीर्तिनगर	अनारक्षित
19.	नगर पंचायत, घनसाली	अनारक्षित
20.	नगर पंचायत, गजा	अनारक्षित
21.	नगर पंचायत, लम्बगांव	अनारक्षित
22.	नगर पंचायत, चमियाला	अनारक्षित

23.	नगर पंचायत, तपोवन	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
24.	नगर पंचायत, अगत्स्यमुनि	अनारक्षित
25.	नगर पंचायत, ऊखीमठ	महिला
26.	नगर पंचायत, तिलवाड़ा	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
27.	नगर पंचायत, गुप्तकाशी	अनुसूचित जाति (महिला)
28.	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम	महिला
29.	नगर पंचायत, सतपुली	अनारक्षित
30.	नगर पंचायत, थलीसैण	महिला
31.	नगर पंचायत, बनबसा	अनुसूचित जाति
32.	नगर पंचायत, द्वाराहाट	महिला
33.	नगर पंचायत, भिकियासैण	अनुसूचित जाति (महिला)
34.	नगर पंचायत, चौखुटिया	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
35.	नगर पंचायत, कपकोट	अनारक्षित
36.	नगर पंचायत, गरुड़	अनुसूचित जाति
37.	नगर पंचायत, मुनस्यारी	अनुसूचित जनजाति
38.	नगर पंचायत, लालकुंआ	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
39.	नगर पंचायत, महुआडाबरा	अन्य पिछड़ी जाति
40.	नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी	अन्य पिछड़ी जाति
41.	नगर पंचायत, केलाखेड़ा	अन्य पिछड़ी जाति
42.	नगर पंचायत, दिनेशपुर	अनारक्षित
43.	नगर पंचायत, शक्तिगढ़	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
44.	नगर पंचायत, नानकमत्ता	अन्य पिछड़ी जाति
45.	नगर पंचायत, गुलरभोज	अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
46.	नगर पंचायत, लालपुर	महिला

2— उपरोक्त नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के प्रस्तावित आरक्षण एवं आवंटन पर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

3— प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31 / 62, राजपुर रोड़, निकट पाईन हॉल स्कूल, देहरादून को सम्बोधित करते हुये अथवा मेल आईडी directorudd@gmail.com पर प्रेषित की जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्ति एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त होंगे। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा प्राप्त सुझाव एवं आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई करते हुये अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निर्धारित समय—सीमा के अन्दर शासन को प्रेषित की जाएगी, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।



(गौरव कुमार)
अपर सचिव।

संख्या: 1497 (1) / IV(3) / 2024-11(3 निर्वाचन) / 2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

गृ

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

उप सचिव।

संख्या: 1497 (2) / IV(3) / 2024-11(3 निर्वाचन) / 2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा० शहरी विकास मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को तीन ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें, जिनका प्रसार उत्तराखण्ड में व्यापक रूप से होता हो, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त होने वाली आपत्ति एवं सुझाव पर निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनवाई करते हुये उनके निस्तारण के संबंध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
7. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पंचायत, उत्तराखण्ड (द्वारा शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

गृ

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

उप सचिव।